

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

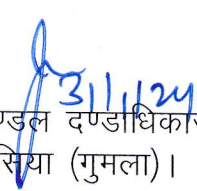
07 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष — अमृत सागर लालबगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष — श्री प्रेमचंद लाल बगैरह ।

वाद सं0 37 / 2023

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	अनुमण्डल गुमला के पत्रांक 247/सा० न्यायालय गुमला दिनांक 26/04/2023 के द्वारा पत्राचार के माध्यम से प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रथम पक्ष प्रथम पक्ष (1) अमृत सागर लाल पिता स्व० मटुकधारी सिंह उर्फ मटूकधारी लाल उम्र 50 वर्ष ग्राम चटकपुर थाना कामडारा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) श्री प्रेमचंद लाल उम्र 50 वर्ष पिता गणेश लाल निवासी ग्राम रामतोल्या (2) रेखा देवी पति प्रेमचंद लाल ग्राम रामतोल्या थाना कामडारा जिला गुमला के बीच मौजा चटकपुर के खाता सं० 35, प्लॉट सं० 377 रकबा 0.36 एकड़ भूमि की खरीद बिक्री एवं पैसा का लेन देन को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त किये हैं न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं:- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	